



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

Sl.No

Date

21 SEP 2022

मैं, प्रेमा कुमारी पिता/पति जि. जे. 21
उम्र 45 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 30(टी/ए)
मोहल्ला ओरियन्टल, पोस्ट 2मंठा, थाना काजीमीहम्मादपुर जिला मुजफ्फरपुर
(मज्जुवाहल)
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 30(टी/ए) के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 30(टी/ए) के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

प्रेमा कुमारी

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - Kaipa Bindu Sinha

नाम- कापा बिन्दु सिन्हा

पता- अधीरिया बाजार
पौ-2मंठा थाना- काजीमीहम्मादपुर
जिला- मुजफ्फरपुर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

I know and identify the deponent who signed in my presence.

Sudhir Kumar Singh
Advocate . 21/09/2022

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - मुन्नेज चौधरी

नाम- मुन्नेज चौधरी

पता- अकठरी, नीम चौक, रमना, काजीमुहुर
मुजफ्फरपुर

The Deponent identified Advocate has solemnly affirmed before me that the contents of the affidavit are true to the best of his/her knowledge.

AKHILESHWAR N. P.B. SINGH
NOTARY Muzaffarpur, Bihar

स्थान : मुजफ्फरपुर

लगातार

दिनांक : 22/09/2022

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

915

**नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र**

.....मुजफ्फरपुर..... जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायतमुजफ्फरपुर.....
के वार्ड संख्या 30 (बी/ए) से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।
अभ्यर्थी का नाम- प्रिया- कुमारी-
पति/पति का नाम- राजेश- कुमार-

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शुन्
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शुन्
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शुन्
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)
- (iv) दिया गया दण्ड- शुन्
- (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शुन्
- (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शुन्

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

- (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शुन्
- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शुन्
- (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शुन्
- (iv) यदि निष्पादित है, तो
 - (क) निष्पादन की तिथि- शुन्
 - (ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शुन्

- (v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शुन्
- (vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शुन्

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें-

- (i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शुन्
- (ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शुन्

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-
- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- 2021
 - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 2021
 - अपराध संख्या 2021
 - आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 2021
 - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 2021

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें-
- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- 2021
 - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- 2021
 - अपराध संख्या- 2021
 - आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- 2021
 - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- 2021
4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- 2021

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- 2021

(ii) शहरी भूमि- 378 वर्ग फीट (4030 घुंर) किमत :- 5,16,000/-
(पाँच लाख, सौ सहस्र रुपये)

(iii) भवन- दूत का मकान की- कमरा, एक किचन, बाथरूम-
किमत :- 3,50,000/-

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।
(पति के हिले के पैतृक सम्पत्ति)

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 30,000/-
(लीड-एण्डर-माय)

(ii) बैंक बैलेन्स- 2,845.23

(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)
(ली-एण्डर-माय वी. पैमाने पर रूपरेखा)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य-

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य-

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन डीजल-साईन (गीट-लाईकिल) (vi) आभूषणों का विवरण सीमा:- 50 ग्राम-

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन

पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(पूर्ण विवरण दें) सुमन - एक पीछा-
चौकी:- 150 ग्राम- गार्डन-एक पीछा-
पायल - तीन पीछा- अंडुली - दो पीछा-
बिंदिया - पाँच पीछा- गार्डन-मोंग - दो पीछा-

सीमा, चौकी

डायमंड्स- 2,70,000/-

(वीलावर, हल-एण्डर-माय-
लगाय)

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ) शून्य-

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य-

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें- शाही

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर-

तिथि- 22/09/2022

प्रेमा कुमारी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।